



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

**संदर्भ:** प्लेक्स/सर्क/200

**दिनांक:** 01 जून 2026

को

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय:** भारत-ओमान सीईपीए के तहत टैरिफ रियायतों की पहली किश्त के कार्यान्वयन के संबंध में

**संदर्भ:** अधिसूचना संख्या 20/2026-सीमा शुल्क दिनांक 31 मई 2026

हम आपको राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जिसमें भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत टैरिफ रियायतों की पहली किश्त के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई है, जिस पर 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इस व्यापार अधिसूचना के तहत इस समझौते के अंतर्गत ओमान से आयातित कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है या उसे समाप्त कर दिया गया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिमान्य मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दरों (तालिका I) और कृषि अवसंरचना विकास उपकरण [एआईडीसी दरें] (कुछ प्लास्टिक उत्पादों के लिए लागू) (तालिका II) और साथ ही टैरिफ दर कोटा (तालिका III) की समीक्षा के लिए विस्तृत अधिसूचना देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260601124023.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260601124023.pdf)

आयातकों को "उत्पत्ति के नियमों" की आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और इस अधिसूचना के तहत कम शुल्क दरों का लाभ उठाने के लिए एक वैध अधिमान्य मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) प्रस्तुत करना होगा।

**यह अधिसूचना 1 जून, 2026 से लागू होगी।**

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)